न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 61/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. उम्मेदाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील आउ , जिला फलौदी		1. पदमाराम पुत्र किशनाराम 2. अमानाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी श्रीकृष्णनगर, तहसील आउ, जिला फलौदी 3. श्री तहसीलदार फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्व बनाराजगी आदेश नामान्तरकरण संख्या 846 तहसीलदार, फलौदी

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा।
रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 व 02 की ओर से — अधिवक्ता श्री रेवतसिंह पातावत व अन्य ।
रेस्पाडेण्टस संख्या 03 की ओर सेः— स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 31/12/24

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आदेश तहसीलदार फलौदी द्वारा स्वीकृत श्रीकृष्णनगर के नामान्तरकरण संख्या 846 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।
2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है के अपीलांट एवं रेस्पोडेण्टस संख्या 1व 2 की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम श्रीकृष्णनगर के खसरा संख्या 2/2 रकबा 48 बीघा व खसरा संख्या 83/2 रकबा 7 बीघा भूमि आयी हुई थी। रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ने हल्का पटवारी से मिलकर आपसी सहमति का बंटवाडा अंकित करते हुवे नामान्तरकरण संख्या 846 स्वीकृत करवा लिया जबकि आपसी सहमति से कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ था। रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ने बिना बंटवाड़ा करवाये उक्त नामान्तरकरण संख्या 846 स्वीकृत करवाया है। जिसके विरूद्व अपील आपके क्षेत्राधिकार होने से यह अपीलांट ने अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।
3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। डाक रसीदे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री रेवतसिंह पातावत व अन्य ने वकालातनामा पेश किया। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी से मूल अभिलेख तलब किया गया। मूल अभिलेख नामान्तरकरण संख्या 846 ग्राम कृष्णनगर प्राप्त हुआ किन्तु बंटवाड़ा से सम्बन्धित पत्रादि/पत्रावली वर्ष 2013 के रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

जिला कलक्टर
फलौदी

4. अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलांट ने जरिए प्रार्थना पत्र बताया कि ग्राम श्रीकृष्णनगर के खसरा संख्या 2/2 रकबा 48 बीघा व खसरा संख्या 83/2 रकबा 7 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेण्टस संख्या 01 व 02 के नाम खातेदारी में दर्ज थी। बंटवाड़ा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम के नियम 18 व 21 की पालना अनुसार

किया जाता है। जिसमें भूमि समानुपात व किस्म अनुसार किया जाता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज भूमि तीनो भाईयों की बराबर–बराबर नहीं दर्शाई है जिसकी जानकारी दिनांक 21.08.2024 को हल्का पटवारी से मिलने पर हुई। आलौच्य बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण जानकारी होते ही अपील अन्दर मियाद मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है।

5. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रस्पोडेण्टस ने आपसी सहमति का बंटवाडा दिखाते हुए नामान्तरकरण में अपने नाम से रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ने 20 बीघा भूमि दर्ज करवा दी व रेस्पोडेण्टस संख्या 02 ने 25.17 बीघा भूमि दर्ज करवाई जबकि अपीलांट के नाम से मात्र 9.05 बीघा भूमि दर्ज करवाई जो कि असमान रूप से बंटवाड़ा दर्शाता है। बंटवाड़ा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 व 21 की पालना अनुसार किया जाता है जिसमें भूमि समानुपात व किस्म अनुसार किया जाता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज भूमि तीनों भाईयों में बराबर–बराबर नहीं दर्शायी गई है। खसरा संख्या 02 में अन्य सहखातेदार की भूमि थी जिनकी सहमति उक्त बंटवाड़ा में नही ली गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते हुए न तो अपीलांट को सुना गया न ही कोई नोटिस दिया रेस्पोडेण्टस ने अपीलांट से बाले–बाले नामान्तरकरण भरवा कर स्वीकृत करवा लिया। इसलिए नामान्तरकरण खारिज किया जावे।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 ने अपनी बहस में बताया कि अपील के साथ अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 846 के विरूद्व अपील विधि में निर्धारित अवधि के अन्दर पेश नहीं की है। अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 846 के स्वीकृत होने की जानकारी दिनांक 21.08.2024 को होना जानबूझ कर सरासर गलत बताया है। इस नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित काश्त भूमि खसरा संख्या 2/2 के अन्दर से रस्पोडेण्टस संख्या 01 पदमाराम द्वारा रास्ता के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आउ में प्रार्थना पत्र संख्या 157/2023 पदमाराम बनाम उम्मेदाराम व अन्य दिनांक 17.10.2023 को पेशकर अपीलांट को नोटिस दिया जाकर बाद तामील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र का जरिये अधिवक्ता न्यायालय में जवाब दिनांक 28.05.2024 पेश करने के कारण विचाराधीन अपील में लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के साथ जानबूझ कर गलत तथ्य बताकर शपथ पत्र पेश किया गया है। अपीलांट की अपील विधि में निर्धारित अवधि में पेश नहीं करने पर अपील खारिज की जावें।

7. सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश की जानकारी 21.08.2024 को होना प्रार्थना पत्र में प्रकट किया है। इसके विपरित अभिभाषक रेस्पोडेन्टस का तर्क है कि अपीलांट द्वारा मियाद के बाहर लम्बी अवधि गुजरने के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में ही थी। इसके लिए उपखण्ड अधिकारी आऊ न्यायालय में प्रकरण संख्या 157/2023 व अपीलांट द्वारा किये गये बख्सीशनामा दिनांक 24.06.2022 का आधार प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 846 बंटवाड़ानामा दिनांक 31.01.2013 के आधार पर दर्ज व निर्णीत किया गया है। तहसीलदार फलौदी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त बंटवाड़ा से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। जहां तक रेस्पोडेन्टस के तर्क का प्रश्न है, उपखण्ड अधिकारी आऊ द्वारा निर्णित प्रार्थना पत्र 157/2023 राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 251(क) के सम्बध में है, जिसमें अपीलाधीन नामान्तरकरण व बंटवाड़ा बाबत कोई स्पष्ट उल्लेख वादी एवं

जिला कलेक्टर
फलौदी

प्रतिवादीगण की ओर से नहीं है। इसी प्रकार बख्सीशनामा में भी इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है। अभिभाषक का तर्क है कि अपीलाधीन प्रकरण में विवादित भूमि का जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार बंटवाड़ा नहीं किया जाकर अपीलांट को मात्र 9 बीघा 05 बिस्वा भूमि दी गई है। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 को 25 बीघा 15 बिस्वा , रेस्पोडेन्टस संख्या 02 को 20 बीघा भूमि दर्ज की गई है। प्रश्नगत नामान्तरकरण से पूर्व तीनों सहखातेदारों की संयुक्त खातेदारी में कुल 55 बीघा भूमि दर्ज थी। आपसी सहमति से बंटवाड़ा में संयुक्त खातेदारी हिस्से में दर्ज भूमि से अधिक या कम भूमि दिया जाना अधिकार अभिलेख में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विधिक आदेश न होने की स्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार अनुमत नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्रारम्भतः शून्य व अवैध है। हम न्यायालय अभिभाषक अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना खातेदारों के हिस्से के रकबे को कम–ज्यादा नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमति से विभाजन के सम्बध में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 में नियम 18 से 21 में विभाजन की प्रक्रिया एवं तरीकों का उल्लेख किया गया है। तदनुसार स्पष्ट है कि प्रश्नगत बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण विधि के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन है एवं अवैध आदेश की श्रेणी में आता है। ऐसे अवैध आदेशों को चुनौती दिए जाने के लिए विधि में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद नियम को स्वीकार किया जाता है।

8. अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश से सम्बन्धित मूल दस्तावेज एवं पत्रावली में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित नामान्तरकरण आदेश पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई हेतु न तो सूचित किया गया है और न हीं नामान्तरकरण के साथ तहसीलदार द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 31.01.2013 की प्रति संलग्न है। इससे यह भी सन्देह पूर्ण है कि बंटवाड़ा सभी सहखातेदारों की सजग सहमति से किया गया है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 तथा अधिनियम की धारा 53 (2) के प्रावधान द्वारा स्पष्ट है कि सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से जोत विभाजन किये जाने का प्रावधान है। रिकार्ड पर सक्षम न्यायालय या अधिकारी का आदेश उपलब्ध नहीं है जिससे पक्षकारों का जमाबंदी में दर्ज हिस्से से अन्यथा भूमि दर्ज किये जाने का आदेश अस्तित्व में हो। अतः प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 31.01.2013 खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार आऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी सम्बन्धित पक्षकारों की समुचित सुनवाई कर मौके व रिकार्ड की स्थिति की जांच कर 01 माह की अवधि में विभाजन सम्बन्धित आदेश पुनः पारित करें एवं तदनुसार नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/24... सरेइजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर फलौदी सत्यमेव जयते

हरजी लाल अटल
(आर.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी

जिला कलक्टर
फलौदी